रेल संबंधी स्थायी समिति

कार्यकरण

रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नवत कृत्य हैं:-

(i) रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करना तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ii) रेल मंत्रालय से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जिन्हें सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष, लोक सभा, जैसा मामला हो, द्वारा सौंपे जाए तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(iii) रेल मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(iv) सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालिक नीतियों पर विचार करना, यदि सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष, लोक सभा, जैसा भी मामला हो, भेजा जाए तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(v) समिति द्वारा चयनित विषयों की जांच करना तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

समिति की संरचना

समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 सदस्य अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं तथा 10 सदस्यों को सभापति, राज्य सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है। समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा

समिति के सदस्यों में से लोक सभा के सदस्यों से की जाती है। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।

वर्ष 2019-20 के लिए स्थायी समिति का गठन दिनांक 13.09.2019 को (देखिए:लोक सभा समाचार भाग-दो सं. 550 दिनांक 13.09.2019) किया गया था तथा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा श्री राधा मोहन सिंह, को समिति का सभापति (2019-20) नियुक्त किया गया था।

रेल संबंधी स्थायी समितियों के सभापति की सूची

समिति वर्ष	सभापति का नाम	से	तक
दसवीं लोक सभा			
1993-94	श्री सोमनाथ चटर्जी	08.04.1993	07.04.1994
1994-95	श्री सोमनाथ चटर्जी	08.04.1994	07.04.1995
1995-96	श्री सोमनाथ चटर्जी	08.04.1995	07.04.1996
ग्यारहवीं लोक सभा			
1996-97	श्री बसुदेव आचार्य	01.08.1996	31.07.1997
1997-98	श्री बसुदेव आचार्य	01.08.1997	04.12.1997
बारहवीं लोक सभा			
1988-99	कुमारी ममता बनर्जी	05.06.1998	26.04.1999
तेरहवीं लोक सभा			
1999-2000	श्री के. येरानायडु	31.12.1999	30.12.2000
2000-2001	श्री के. येरानायडु	01.01.2001	31.12.2001
2001-2002	श्री के. येरानायडु	01.01.2002	31.12.2002
2002-2003	श्री के. येरानायडु	01.01.2003	31.12.2003
2003-2004	श्री के. येरानायडु	01.01.2004	06.02.2004
चौदहवीं लोक सभा			
2004-05	श्री बसुदेव आचार्य	05.08.2004	04.08.2005
2005-06	श्री बसुदेव आचार्य	05.08.2005	04.08.2006

2006-07	श्री बसुदेव आचार्य	05.08.2006	04.08.2007
2007-08	श्री बसुदेव आचार्य	05.08.2007	04.08.2008
2008-09	श्री बसुदेव आचार्य	05.08.2008	18.05.2009
पंद्रहवीं लोक सभा			
2009-10	श्री टी.आर. बालू	31.08.2009	30.08.2010
2010-11	श्री टी.आर. बालू	31.08.2010	30.08.2011
2011-12	श्री टी.आर. बालू	31.08.2011	30.08.2012
2012-13	श्री टी.आर. बालू	31.08.2012	30.08.2013
2013-14	श्री टी.आर. बालू	31.08.2013	18.05.2014
सोलहवीं लोक सभा			
2014-15	श्री दिनेश त्रिवेदी	01.09.2014	31.08.2015
2015-16	श्री दिनेश त्रिवेदी	01.09.2015	31.08.2016
2016-17	श्री सुदीप बंदोपाध्याय	01.09.2016	31.08.2017
2017-18	श्री सुदीप बंदोपाध्याय	01.09.2017	31.08.2018
2018-19	श्री सुदीप बंदोपाध्याय	01.09.2018	25.05.2019
सत्रहवीं लोक सभा			
2019-20	श्री राधा मोहन सिंह	13.09.2019	आज तक

समिति का कार्य

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से संबंधित प्रक्रिया

सभा में रेल बजट पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने पर, समिति सत्र के पश्चात की अवधि के दौरान रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करती है। अनुदानों की मांगों पर प्रतिवेदन में कटौती प्रस्ताव जैसी किसी बात का कोई सुझाव नहीं होता है।

विधेयकों पर विचार करने संबंधी प्रक्रिया

समिति केवल ऐसे विधेयकों पर विचार करती है जिसे दोनों सदनों में से किसी सदन में पुर:स्थापित किया गया है तथा अध्यक्ष, लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा, जैसा भी मामला हो, द्वारा सौंपा गया हो। समिति, उसे सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है तथा दिए गए समय के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करने से संबंधित प्रक्रिया

समिति, रेल मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर जांच हेतु अन्य विषयों का भी चयन करती है।

राष्ट्रीय दीर्घ-कालिक नीति संबंधी दस्तावेजों की जांच से संबंधित प्रक्रिया

समिति, संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय दीर्घ-कालिक नीति दस्तावेज, तथा अध्यक्ष, लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करती है तथा ऐसे दस्तावेजों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

उप-समितियों/अध्ययन समूहों का गठन

समिति, इसके द्वारा चयनित विषयों की जांच/परीक्षा करने के मद्देनजर तथा मूल प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट जांच करने तथा प्रक्रियागत तथा सामान्य मामलों पर विचार करने के लिए समिति के सदस्यों में से उप-समिति/अध्ययन समूहों का गठन कर सकती है। उप-समिति का अध्यक्ष/समन्वयक/वैकल्पिक समन्वयक की नियुक्ति समिति के अध्यक्ष द्वारा उप-समिति/अध्ययन समूह के सदस्यों में से की जाएगी।

तत्स्थानिक दौरे/अध्ययन दौरे: जांचावधीन विषयों से संबंधित विभिन्न विषयों के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए (यदि आवश्यक हो तो) समिति अथवा इसकी उप-समिति/अध्ययन समूह, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों का तत्स्थानिक दौरा कर सकती है।

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

जांच किए गए विषयों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशों, जो कि उनके प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट हैं, जिन्हें समिति द्वारा अंगीकार किये जाने तथा रेल मंत्रालय द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन उपरांत सभापति और प्राधिकृत सदस्यों द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत/ राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश को प्रतिवेदन सहित सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

समिति की सिफारिशें अनुसरणात्मक होती हैं और तथा उन्हें समिति द्वारा दिया गया सुविचारित परामर्श माना जाता है। समिति द्वारा प्रतिवेदित अनुदानों की मांगों तथा विधेयक को समिति की सिफारिशों के आलोक में सभा द्वारा विचार किया जाता है। अनुदानों की मांगों, राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घ-कालिक नीति दस्तावेजों तथा अन्य विषयों पर रिपोर्टों के संबंध में रेल मंत्रालय को रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही की जानी अपेक्षित होती है तथा तत्संबंध पर तीन माह के भीतर की-गई-कार्यवाही उत्तर उपलब्ध कराने होते हैं। मंत्रालय से प्राप्त की-गई-कार्यवाही टिप्पण की जांच समिति द्वारा की जाती है और उन पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है/राज्य सभा के पटल

पर रखा जाता है। समिति की कार्यवाहियां, मसौदा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश को संसद में प्रस्तुत किए जाने तक गोपनीय माना जाता है।

लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा निदेशों के निदेश 73क के अंतर्गत मंत्री द्वारा वक्तव्य

निदेश 73क के अंतर्गत, संबंधित मंत्री, अपने मंत्रालय के बारे में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सभा में छह माह में एक बार वक्तव्य देंगे। इसका उद्देश्य, स्थायी समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सरकार के सर्वोच्च स्तर द्वारा ध्यान दिया जाना होता है।